



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

Central Sanskrit University

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

(Established by An Act of Parliament)

जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)

Jaipur Campus, Jaipur (Rajasthan)



के.सं.वि.ज. / प्रशा.-समिति / 2023-24 / 2050

दिनांक: 12.12.2023

कार्यालय आदेश / Office order

519

छात्रावास प्रबंधन की सामान्य नियमावली (General Guideline for Hostel Management) के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रावास की समस्त व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की संशोधित परिसरीय छात्रावास समिति (Campus Hostel Committee) का गठन किया जाता है।

अतः समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि मुख्यालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी छात्रावास गाइडलाइन के अनुसार जयपुर परिसर की प्रतिष्ठा एवं संवर्धन हेतु अपना विशेष सामयिक योगदान प्रदान करें। समिति शैक्षणिक सत्र 2023-24 के सत्रांत/अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी :-

परिसरीय छात्रावास समिति (संशोधित) :

- | | | |
|---|---|--|
| (1) प्रो. सुदेश कुमार शर्मा | - | अध्यक्ष (Chairperson) |
| (2) प्रो. पवन कुमार | - | सदस्य (Chief Warden) |
| केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली | | |
| (3) डॉ. अन्जू चौधरी | - | सदस्य (महिला छात्रावास अधिष्ठाता) |
| (4) डॉ. डम्बरुधर पति | - | सदस्य (पुरुष छात्रावास अधिष्ठाता) |
| (5) प्रो. फतह सिंह | - | सदस्य (Senior Faculty member) |
| (6) प्रो. शुभस्मिता मिश्र | - | सदस्य (One Woman Faculty member) |
| (7) जय कुमार शर्मा | - | छात्र प्रतिनिधि सदस्य (शास्त्री तृतीय वर्ष) |
| (8) प्राची राठी | - | छात्रा प्रतिनिधि सदस्य (शास्त्री प्रथम वर्ष) |
| (9) डॉ. लोकेश कुमार गुप्ता | - | अनुभाग अधिकारी (प्रशा.) |

उक्त समिति सदस्यों को निर्देश है कि मुख्यालय, नई दिल्ली की छात्रावास गाइडलाइन के अनुसार समय-समय पर बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही करें।

(प्रो. सुदेश कुमार शर्मा)
निदेशक
12.12.23

संलग्न: छात्रावास नियमावली।

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ।
2. समन्वयक, IQAC, जयपुर परिसर।
3. कार्यालय आदेश।
4. प्रशासन विभाग।
5. परिसर वेबसाइट (श्री दीपक कुमार वर्मा, तकनीकी सहायक)।
6. संबंधित संचिका।